न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अवि गर्ग, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
29/2020	दावा 88 RTA & धारा 136 LR Act	06.03.2020	11.03.2020

महावीरप्रसाद पुत्र प्रेमराज जाति जांगिड़ निवासी ग्राम घण्टेल हाल निवासी नया बास, मक्की मस्जिद के पास वार्ड नं. नया 18, तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित – 1. श्री महावीरप्रसाद वादी स्वयं।
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादी/प्रार्थी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 एल.आर. एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि वादी ग्राम घण्टेल तहसील व जिला चूरू हाल नया बास, मक्की मस्जिद के पास, नया वार्ड नं. 18 चूरू का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी को घर परिवार में प्यार से पेमाराम के नाम से भी सम्बोधित करते थे जिस कारण हमारी पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नं. 463, 489 कुल तादादी 7.0820 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम घण्टेल तह0 चूरू के राजस्व रिकार्ड में मेरे पिताजी का प्यार का नाम पेमाराम दर्ज है लेकिन मेरे पिताजी का सही व पूरा नाम प्रेम राज जांगिड़ है तथा मेरे आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र में मेरे पिताजी का सही व पूरा नाम प्रेम राज जांगिड़ दर्ज है। प्रेम राज जांगिड़ व पेमाराम एक ही व्यक्ति का नाम है, जो मेरे पिताजी का ही नाम है। मेरे पिताजी को उक्त दोनों नामों से ही जाना व पहचाना जाता था। इस नाम परिवर्तन के पीछे मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। भविष्य में इस नाम बाबत कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी मेरी स्वयं की ही होगी। अतः दावा/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में मेरे पिताजी का सही व पूरा नाम प्रेम राज जांगिड़ दर्ज करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी चूरू

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपनी पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में अपने पिता के दर्ज नाम पेमाराम के स्थान पर सही व पूरा नाम प्रेमराज जांगिड़ दर्ज करवाना चाहता है क्योंकि उसके नाम से बने हुए अन्य समस्त दस्तावेजों में उसके पिता का नाम प्रेमराज जांगिड़ दर्ज है। वादी/प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ वादगत कृषि भूमि ख.नं. 463, 489 कुल तादादी 7.0820 हैक्टेयर ग्राम घण्टेल की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073, आधार कार्ड संख्या 950905108968, परिवार राशन कार्ड संख्या 200003617048, भामाशाह कार्ड संख्या VPVKWSP, पेन कार्ड संख्या BEPPJ0806P, मतदाता पहचान पत्र संख्या RJ/03/020/435208, पंजाब नेशनल बैंक पासबुक खाता संख्या

3598000100023904, स्वयं का शपथ पत्र दिनांक 28.11.2019, रिपोर्ट पटवारी हल्का घण्टेल दिनांक 09.12.2019 व दिनांक 20.01.2020 एवं तहसीलदार, चूरू की अनुशंषा दिनांक 24.12.2019 प्रस्तुत की है। साथ ही उक्त नाम संशोधन पर आपत्ति बाबत सार्वजनिक सूचना दैनिक राजस्थान स्टेटमेण्ट समाचार पत्र दिनांक 08.02.2020 में प्रकाशित करवा कर समाचार पत्र की प्रति भी पेश की है।

प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ख.नं. 463, 489 कुल तादादी 7.0820 हैक्टेयर रोही ग्राम घण्टेल में वादी के पिता का नाम पेमाराम दर्ज है जिसको वादी दुरूस्त करवाना चाहता है। वादी के आधार कार्ड सं. 950905108968, परिवार राशन कार्ड संख्या 200003617048, भामाशाह कार्ड संख्या VPVKWSP, पेन कार्ड संख्या BEPPJ0806P, पंजाब नेशनल बैंक पासबुक खाता संख्या 3598000100023904 में वादी महावीरप्रसाद के पिता का नाम प्रेमराज जांगिड़ अंकित है। वादी के पिता के मतदाता पहचान पत्र संख्या RJ/03/020/435208 में वादी के पिता का नाम प्रेमराज पुत्र मूलाराम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में उसने सशपथ अंकित किया है कि मेरे पिताजी को घर परिवार में प्यार से पेमाराम के नाम से भी सम्बोधित करते थे जिस कारण हमारी पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नं. 463, 489 कुल तादादी 7.0820 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम घण्टेल तह0 चूरू के राजस्व रिकार्ड में मेरे पिताजी का प्यार का नाम पेमाराम दर्ज है लेकिन मेरे पिताजी का सही व पूरा नाम प्रेम राज जांगिड़ है तथा मेरे आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र में मेरे पिताजी का सही व पूरा नाम प्रेम राज जांगिड़ दर्ज है। प्रेम राज जांगिड़ व पेमाराम एक ही व्यक्ति का नाम है, जो मेरे पिताजी का ही नाम है। मेरे पिताजी को उक्त दोनों नामों से ही जाना व पहचाना जाता था। इस नाम परिवर्तन के पीछे मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। भविष्य में इस नाम बाबत कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी मेरी स्वयं की ही होगी। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में मेरे पिताजी का सही व पूरा नाम प्रेम राज जांगिड़ दर्ज करने का कष्ट करें। पटवारी हल्का घण्टेल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 09.12.2019 व 20.01.2020 में अंकित आया है कि प्रार्थी/वादी के राजस्व रिकार्ड में उसके पिता का नाम पेमाराम दर्ज है जबकि उसके समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड व बैंक पासबुक में प्रेमराज दर्ज है। उक्त कृषि भूमि वादी को विरासतन नामान्तरकरण संख्या 1368 ग्राम घण्टेल के जरिये प्राप्त हुई है। अतः प्रार्थी/वादी के पिता नाम पेमाराम के स्थान पर प्रेमराज करना उचित होगा। तहसीलदार, चूरू द्वारा की गई अनुशंषा दिनांक 24.12.2019 में भी पटवारी हल्का घण्टेल की रिपोर्ट के आधार पर वादी के पिता का नाम पेमाराम के स्थान पर प्रेमराज दर्ज किया जाना उचित बताया है। वादी ने वादगत कृषि भूमि में अपने पिता का नाम संशोधित करवाने में आपत्ति बाबत सार्वजनिक सूचना दैनिक राजस्थान स्टेटमेण्ट समाचार पत्र दिनांक 08.02.2020 में प्रकाशित करवा कर अखबार की प्रति पेश की है जिसमें अंकित किया है कि खसरा नं. 463, 489 में अपने पिता का नाम पेमाराम के स्थान पर प्रेमराज जांगिड़ करने पर किसी को कोई आपत्ति हो तो जिलाधीश कार्यालय के कमरा नं. 62 में आपत्ति दर्ज करवायें। उक्त सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाने के पश्चात् नियमानुसार निर्धारित समयावधि में किसी भी व्यक्ति या पक्षकार की ओर से कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 463, 489 कुल तादादी 7.0820 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम घण्टेल तह0 चूरू में वादी के पिता का नाम पेमाराम दर्ज है जिसको वादी दुरूस्त करवाना चाहता है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में अपने आधार कार्ड संख्या 950905108968, परिवार राशन कार्ड संख्या

200003617048, भामाशाह कार्ड संख्या VPVKWSP, पेन कार्ड संख्या BEPPJ0806P, पंजाब नेशनल बैंक पासबुक खाता संख्या 3598000100023904 एवं पिता के मतदाता पहचान पत्र संख्या RJ/03/020/435208 आदि की प्रतियां पेश की हैं जिनमें वादी के पिता का सही व पूरा नाम प्रेमराज अंकित है। वादी ने अपने शपथ पत्र में उक्त संशोधन बाबत कोई विवाद उत्पन्न होने पर समस्त जिम्मेवारी स्वयं की होना सशपथ बयान किया है। दावा में पटवारी हल्का घण्टेल व तहसीलदार, चूरू द्वारा भी वादगत कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में वादी के पिता का नाम पेमाराम के स्थान पर प्रेमराज किया जाना उचित बताया है। पेश दावा व दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा यह कृषि भूमि उसे विरासतन प्राप्त हुई है। राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम पेमाराम गलत दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में उसके पिता का सही नाम प्रेमराज दर्ज है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज पिता के नामों में भिन्नता होने से वादी को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिए उसे राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के गलत दर्ज नाम को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरुस्त करवाने का अधिकार है। वादी द्वारा पेश दस्तावेजों व शपथ पत्र तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का घण्टेल व अनुशंषा तहसीलदार, चूरू के आधार पर दावा वादी स्वीकार करने योग्य है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र, रिपोर्ट पटवारी हल्का घण्टेल एवं अनुशंषा तहसीलदार, चूरू के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि ख.नं. 463, 489 कुल तादादी 7.0820 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम घण्टेल तहसील चूरू में वादी महावीरप्रसाद के पिता का नाम पेमाराम के स्थान पर प्रेमराज जांगिड़ अंकित करने का आदेश दिया जाता है। भविष्य में उक्त नाम संशोधन बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी समस्त जिम्मेवारी वादी की रहेगी। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, चूरू
चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री अवि गर्ग आर0ए0एस0

महावीरप्रसाद पुत्र प्रेमराज जाति जांगिड़ निवासी ग्राम घण्टेल हाल निवासी नया बास, मक्की मस्जिद के पास वार्ड नं. नया 18, तहसील व जिला चूरू (राज.)
–वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू
–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. व धारा 136 एल.आर.एक्ट
मुकदमा नं. 29 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री महावीरप्रसाद वादी स्वयं, मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र, रिपोर्ट पटवारी हल्का घण्टेल एवं अनुशंषा तहसीलदार, चूरू के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि ख.नं. 463, 489 कुल तादादी 7.0820 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम घण्टेल तहसील चूरू में वादी महावीरप्रसाद के पिता का नाम पेमाराम के स्थान पर प्रेमराज जांगिड़ अंकित करने का आदेश दिया जाता है। भविष्य में उक्त नाम संशोधन बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी वादी की रहेगी। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 11 माह मार्च सन् 2020 को जारी की गई।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू